

भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2203
उत्तर देने की तारीख 11 मार्च, 2026
बुधवार, 20 फाल्गुन, 1947 (शक)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0

2203. सुश्री दोला सेन:

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत आवंटित कुल निधि और वास्तव में उपयोग की गई निधि कितनी है;
- (ख) अब तक पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा प्रशिक्षण बीच में छोड़ने का वर्ष-वार दर क्या है; और
- (ग) प्रशिक्षण बीच में छोड़ने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशल प्रदान करना है। योजना का वर्तमान संस्करण अर्थात् पीएमकेवीवाई 4.0, वित्तीय वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत आवंटित और उपयोग की गई निधि का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए वित्तीय प्रगति	
	संशोधित अनुमान (करोड़ रुपये में)	व्यय (करोड़ रुपये में)
2022-23	739.26	233.26
2023-24	920.00	510.52
2024-25	1,538.00	1,538.00
2025-26	1,100.00	268.12 (31.12.2025 तक)

(ख) पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत 08.03.2026 तक नामांकित कुल उम्मीदवारों में से वर्षवार ड्रॉप-आउट उम्मीदवारों का विवरण निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष	नामांकित	ड्रॉप आउट	ड्रॉपआउट प्रतिशत
वित्त वर्ष 22-23	2,27,956	64,629	28.35
वित्त वर्ष 23-24	21,25,591	2,65,268	12.48
वित्त वर्ष 24-25	9,87,880	3,02,167	30.59
वित्त वर्ष 25-26	58,338	4,572	7.84

(ग) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के अंतर्गत छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ने के मुख्य कारण मौसमी रोजगार, प्रवास और व्यक्तिगत कारण हैं। इसके अलावा, कई परिचालन कारकों ने भी इस दर को प्रभावित किया है, जिनमें योजना के अंतर्गत कई संस्थानों, विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों की पहली बार भागीदारी, साथ ही सख्त निगरानी तंत्र और उपस्थिति संबंधी कड़े नियम शामिल हैं।
